HISTORY

B.A.(Hon's) PART-II

Paper-III (Mediaeval Indian History)

Unit-II (Khilji Dynasty..)

Dr. GUDDY KUMARI

(Guest Lecturer), History Deptt.

A.N.D. College, Samastipur

Lecture Series - 25

"अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्था"

(Administrative System of Allauddin Khilji)

अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का एक सफल प्रशासक तथा कुशल प्रबंधक था। वह 1296 ई में दिल्ली सल्तनत की गद्दी प्राप्त की। उसकी शासन व्यवस्था पूर्णरूपेण सुसंगठित, निरंकुश तथा विशुद्ध सैनिक शासन था। सैनिक बल पर ही उसने उत्तर तथा दक्षिण भारत में विजय पताका फहरायी थी।

अलाउद्दीन खिलजी के शासन प्रबंध की एक बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि उसने राजनीति को धर्म से एकदम अलग कर दिया था। उसके शासनकाल में उलेमाओं तथा मूल्लाओं का कोई प्रभाव नहीं था। अलाउद्दीन वही करता था जो उसके विचार से राज्य के हित में होता था। वह इस्लाम का समर्थक था। उसके मकबरे के लेख से स्पष्ट पता चलता है कि उसे इस्लाम में पूर्ण विश्वास था।

अलाउद्दीन द्वारा प्रारंभिक विद्रोहों का दमन एवं शक्ति का विस्तार:–

अलाउद्दीन खिलजी स्वयं हत्या एवं विश्वासघात से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसीलिए उसे हमेशा विद्रोह एवं हत्या का भय बना रहता था। जब वह गद्दी पर बैठा तो अनेक विद्रोह हुए। अतः उसने विद्रोहो को दबाने के लिए कठोर नीति अपनाई। सुल्तान ने सफलतापूर्वक सभी विद्रोह को दबा दिया। लेकिन सुल्तान को इससे आत्म संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि वह इन विद्रोहों के कारणों का पता लगाना चाहता था और इन कारणों का समूल नष्ट कर देना चाहता था। अपने सभी अनुभवी सरदारों की राय से सुल्तान इस निष्कर्ष पर पहुंचा के प्रत्येक विद्रोह के निम्नलिखित पांच कारण है:–

* गुप्तचर विभाग की अयोग्यता।

* मधपान।

Dr. GUDDY KUMARI (A.N.D College)

* अमीरों की मेलजोल एवं वैवाहिक संबंध।

* धन की अधिकता।

* सुल्तान एवं जनता में सीधे संपर्क का अभाव।

सर्वप्रथम उसने शराब पीना एवं जुआ खेलना सर्वत्र वर्जित कर दिया। उसने अपने तथा जनता में सीधा संपर्क स्थापित करने के विचार से अमीरों की आजादी छीन ली। अमीरों के गुटों को तोड़ने के विचार से उसने यह आज्ञा दी कि बड़े अमीर और सरकारी पदाधिकारी सुल्तान की आज्ञा के बिना न मिल सकते हैं ना आपस में दावत सूरापान ही कर सकते हैं और ना वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। अलाउद्दीन को पूर्ण विश्वास हो गया कि संपत्ति की अधिकता से ही विद्रोह होता है। इसलिए अपनी जनता को निर्धन रखने के लिए जमींदारों एवं सामंतों को जो रियायत पहले से मिली हुई थी, उन सबों को बंद करवा दिया। इस तरह से उसके साम्राज्य में शांति स्थापित हो गई, कहा जाता है कि यह शांति एक प्रकार से श्मशान की शांति थी।

अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्था...

अलाउद्दीन खिलजी शक्तिशाली केंद्रीय सरकार में विश्वास रखता था। उसके अधिनस्थ अधिकारी सेवक की तरह उसकी इच्छाओं का पालन करना अपना कर्तव्य मानते थे।

केंद्रीय पदाधिकारी वर्ग:–

केंद्रीय प्रशासन में सुल्तान के बाद प्रमुख स्थान वजीर का था। वजीर वित्त विभाग का प्रधान था। प्रांतीय शासन पर निगरानी रखना, आय–व्यय का हिसाब करना, आमिल की नियुक्ति एवं अभियानों का नेतृत्व करना वजीर का मुख्य काम था। केंद्रीय सरकार के सैनिक पदाधिकारियों में आरज–ए–मुमालिक युद्ध मंत्री था। बख्शी ए फौज सैनिकों को वेतन देता था। काजी–उल–कुजात न्याय विभाग का प्रधान था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के प्रमुख केंद्रीय अधिकारी दीवान ए रियासत एवं सहना मंडी थे। अमीर कोही कृषि विभाग के प्रधान अधिकारी थे। कोतवाल केंद्र सरकार का अधिकारी था। सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों के बीच अधिकार एवं दायित्व का कोई सीमा रेखा नहीं था।

प्रांतीय शासन:–

अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य शासन की सुविधा की दृष्टि से 11 सुबों या प्रांतों में बांटा था। उसका प्रधान सूबेदार होता था। प्रांतीय स्तर पर सूबेदार राजा की तरह प्रमुख पदाधिकारी एवं प्रधान न्यायाधीश होता था। वह राजा की तरह दरबार लगाता था। वह प्रांतीय लगान वसूल करता और प्रांतीय व्यय को काटकर शेष राशि शाही खजाने में जमा कर देता था। सुल्तान का आतंक इतना था कि प्रांतीय सूबेदार विरोध का साहस न जुटा पाते थे।

परगना नगर तथा गांव का प्रबंध:–

सुबा परगणों में बटा था। उसका प्रमुख अधिकारी चौधरी या आमिल था। गांव शासन की सबसे छोटी इकाई थी। इसके अधिकारियों में पटवारी तथा चौकीदार प्रमुख थे। पंचायत द्वारा मुकदमों की सुनवाई होती थी।

सैन्य संगठन:–

Dr. GUDDY KUMARI (A.N.D College)

सेना राज्य की शक्ति होती थी। अलाउद्दीन सेना के बल पर ही एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर उसे सुरक्षित रख सका था अथवा सेना पर उसका पूरा नियंत्रण था। वह सैनिकों की भर्ती योग्यता के आधार पर करता था। उसके सैनिक बड़े ही सबल एवं स्वामी भक्त होते थे। उसने अपनी सेना को सफल बनाने के लिए सैनिक अफसरों को निजी सेना रखने की प्रथा बंद कर दी। वह सैनिकों को राजकोष से नगद वेतन देता था।

अलाउद्दीन स्वयं सैनिकों और उनके घोड़ों का निरीक्षण किया करता था। सैनिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य से अलाउद्दीन ने हूलिया एवं दाग की प्रथा प्रचलित की थी। सेना के लिए व्यय में बचत करने के लिए उसने सस्ते बाजारों का समुचित प्रबंध किया। इस तरह उसकी सैनिक व्यवस्था अच्छी थी। उसने अपने सैन्य बल से मंगोलो के आक्रमण से राज्यों की रक्षा कर सकने में सफल हुआ था। वह अपने सैनिकों को उत्तम वेतन देता था। सैनिक व्यवस्था का अध्यक्ष दीवान ए अर्ज होता था। सैनिक नियमों को कठोरता से लागू करना उसका कार्य था।

न्याय प्रणाली:–

अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में न्याय का समुचित प्रबंध था। न्याय सबों को उचित समय पर मिल जाया करता था। उस समय पेशेवर वकील रखने की प्रथा नहीं थी। न्याय के नियम धर्म पर आधारित था। न्याय का कार्य काजी अथवा न्यायाधीश ही किया करता था। न्यायाधीशों को न्याय कार्य में मदद पहुंचाने के लिए प्रत्येक नगर में कोतवाल रहा करता था। जिसका प्रमुख काम था चोर, डकैत, बदमाश लुटेरों को पकड़ कर पुलिस की सहायता करना। अनैतिक कार्य करने वालों को भी पुलिस पकड़ कर न्यायालय में लाती थी। दंड व्यवस्था इतना कठोर था कि साधारण अपराध के लिए आंखे निकलवाना अंग भंग कर देना और मृत्युदंड का प्रबंध था। कड़ी से कड़ी सजा देने के फलस्वरूप राज्य में किसी को अपराध करने का साहस नहीं होता था फलत: सर्वत्र शांति व्यवस्था थी।

गुप्तचर व्यवस्था:–

किसी भी शासन की आंखें गुप्तचर विभाग ही होती है। अलाउद्दीन में गुप्तचर विभाग को सुंदर ढंग से संगठित किया था। उसने अपने साम्राज्य के हर एक नगर अधिकारियों एवं अमीरों के पीछे गुप्तचर लगा रखा था। झूठी खबर की सूचना एवं समय पर खबर न देने वाले गुप्तचर को कठोर से कठोर दंड दिया करता था। उसके गुप्तचर इतना चौकन्ना रहा करते थे कि एक घटना की खबर कई गुप्तचर ठीक समय पर दे दिया करते थे। परिणाम स्वरुप राज्य में विद्रोह एवं षड्यंषत्रों का अभाव हो गया।

डाक प्रथा:– अलाउद्दीन के साम्राज्य में डाक सेवा की भी व्यवस्था थी। सुल्तान की आज्ञा एवं नियमों का पालन करवाने में डाक सेवा का योगदान महत्वपूर्ण था।।

! धन्यवाद !

Dr. GUDDY KUMARI (A.N.D College)